निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 चैत्र 1938 (श0)

(सं0 पटना 288) पटना, सोमवार, 11 अप्रील 2016

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

5 जनवरी 2016

सं0 22 नि0 सि0 (सिवान)–11–195/1994/11—मो0 इफ्तेखार अहमद, तत्कालीन अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमण्डल, सिवान सम्प्रति सेवानिवृत जिन्हें 7 नं0 गोगरा तटबंध के 31वें कि0 मी0 के आस–पास 800 फीट में रिभेटमेंट कार्य में अनियमतता के संबंध में प्राप्त परिवाद की जाँच उड़नदस्ता से करायी गयी। विभागीय उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री अहमद से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि उनके द्वारा विशिष्ट के अनुरूप कार्य नहीं कराने एवं गलत भुगतान करने का आरोप प्रमाणित होता है। इस प्रमाणित आरोपों के लिए श्री अहमद को विभागीय आदेश सं0–29 दिनांक 07.03.95 द्वारा निम्नांकित दण्ड संसूचित किया गया थाः–

1. निन्दन की सजा, जिसकी प्रविष्टि उनके वर्ष 1993–94 के चारित्री में की जायेगी।

2. उनकी सात वार्षिक वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है।

3. कमी पाये गये सामानों का मूल्य उनसे वसूल की जायेगी।

उक्त दण्डादेश को सरकार द्वारा पुर्नसमीक्षोपरान्त क्रमांक (2) द्वारा संसूचित दण्ड को संशोधित करते हुए विभागीय आदेश सं0 650 दिनांक 20.04.98 द्वारा ''सात वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध'' किया गया।

झारखंड सरकार, जल संसाधन विभाग के पत्रांक 1384 दिनांक 15.03.11 के आलोक में ''कमी पाये गये सामानों का मूल्य'' निर्धारण के संबंध में पुर्नसमीक्षा की गई। पाया गया कि श्री अहमद को उक्त दण्ड उड़नदस्ता अंचल द्वारा समर्पित अंतरिम जाँच प्रतिवेदन के आधार पर की गई थी। जिसमें कराये गये Anti Erosion कार्य स्थल पर

पानी में पूरी तरह डूबे हुये होने के कारण साउण्डींग का सहारा लेकर मापी ली गई थी। उड़नदस्ता अंचल द्वारा बाढ़ के बाद कार्य जलमुक्त होने पर उनकी मापी लेकर विभाग को उपसंहारात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने की बात कही गई थी, लेकिन उड़नदस्ता अंचल द्वारा मापी लेकर उपसंहारात्मक प्रतिवेदन विभाग को समर्पित नहीं किया गया। मामला वर्ष 1993–94 का है, इसलिए अब उपसंहारात्मक प्रतिवेदन प्राप्त कर ''कमी पाये गये सामानों का मूल्य निर्धारण संभव नहीं है। अतएव सरकार द्वारा वसूलनीय राशि का निर्धारण नहीं हो सकने के कारण ''कमी पाये गये सामानों का मूल्य उनसे वसूल की जायेगी'' को विलोपित करने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय आदेश सं0 29 दिनांक 07.03.95 द्वारा संसूचित दण्ड क्रमांक (3) ''कमी पाये गये सामानों का मूल्य उनसे वसूल की जायेगी'' को विलोपित किया जाता है। दण्डादेश की शेष शर्त्तें यथावत् रहेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 288-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in